न्यायालय

श्रमायुक्त बिहार–सह–अपीलीय प्राधिकार , उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपादान भुगतान अपील वाद संख्या–03 / 2017

राज कुमार गुप्ता
पिता–स्व० प्रभु कुमार गुप्ता,
पता–माड़ीपुर पावर हाऊस चौक,
थाना–काजीमोहम्मदपुर,
जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

1 उप श्रमायुक्त –सह–नियंत्रण प्राधिकार,
उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर

2 श्री अखिलेश मण्डल,
पिता –स्व0 जर्मनी मण्डल,
पताः– ग्राम–बरैठा,
पोस्ट–कटरा, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार, ... उत्तरवादी

आदेश की तिथिः–23.01.2018
05.02.2018

अपीलकर्त्ता राज कुमार गुप्ता, पिता–स्व० प्रभु कुमार गुप्ता, पता–माड़ीपुर पावर हाऊस चौक, थाना–काजीमोहम्मदपुर, जिला–मुजफ्फरपुर के द्वारा उप श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर द्वारा जी0ए0 वाद संख्या–06 / 2008 में दिनांक–17.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपील में उप–श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार, उपादान भुगतान अधिसनहम, 1972 के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर को प्रतिपक्षी संख्या–01 एवं श्री अखिलेश मण्डल, पिता –स्व0 जर्मनी मण्डल, पता–ग्राम–बरैठा, पोस्ट–कटरा, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार को प्रतिपक्षी संख्या–02 बनाया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा पूर्व में उप –श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार द्वारा दिनांक–17.01.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार–सह–अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय में अपील ना कर सीधे माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–8449 / 2017 दायर किया गया। इस रिट याचिका को निष्पादित करते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को एक महीने के अन्दर नियंत्रण प्राधिकार के न्यायालय में 50 प्रतिशत राशि जमा करते हुए अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–10.08.2017 को नियंत्रण प्राधिकार के न्यायालय में बैंक ड्राफ्ट संख्या–076480 के माध्यम से रू० 42,577 / – जमा किया गया है। इसके साथ ही माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि अपील के निष्पादित होने तक अपीलकर्त्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाय।

दिनांक–23.01.2018 को सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश वर्मा द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि दिनांक–26.07.2008 को अपीलकर्त्ता का प्रतिष्ठान मेसर्स पुराना भागीरथ होटल, समाहरणालय कम्प्लेक्स, मुजफ्फरपुर प्रशासन के आदेश पर बंद कर दिया गया था। प्रतिवादी श्री अखिलेश मंडल कभी भी उनके होटल में 05 साल तक लगातार नहीं कार्यरत थे। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि अखिलेश मंडल बार–बार होटल से कार्य छोड़कर चले जाते थे एवं पुनः कुछ वर्षो बाद काम पर वापस आ जाते थे। इस प्रकार कभी भी लगातार 05 वर्षो तक उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत नहीं रहे और न ही प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का

साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा उक्त होटल में लगातार 05 वर्षो तक कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि दिनांक–19.12.1999 को तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण में भी प्रतिवादी श्री अखिलेश मंडल का नाम शामिल नहीं है। उक्त निरीक्षण दस्तावेज के अनुसार उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके प्रतिष्ठान में कभी भी 09 से अधिक श्रमिक कार्यरत नहीं रहे है। अतः उन्हें उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उपादान का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के दिनांक–17.01.2015 के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्द किशोर प्रसाद द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा यह कहना कि श्री अखिलेश मंडल उक्त होटल में लगातार 05 वर्ष तक कभी भी कार्यरत नहीं रहे, गलत है। इस संबंध में उनके द्वारा तत्कालीन श्रम अधीक्षक द्वारा विहित प्रपत्र में जारी सेवा कार्ड संख्या–32 दिनांक–24.11.1999 का उल्लेख किया गया जिसमे स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्री अखिलेश मंडल दिनांक–02.04.1988 से उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे हैं। उनके द्वारा दावा किया गया कि प्रतिवादी श्री मंडल दिनांक–02.04.1988 से प्रतिष्ठान बंद होने कि तिथि 26.07.2008 तक लगातार 20 वर्ष तक कार्यरत थे इस प्रकार उन्हें उपादान भुगतान अधिनियम,1972 की धारा 4 के अनुसार उपादान की राशि का भुगतान करना चाहिए। उनके द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

इस प्रकार निम्न न्यायालय के अभिलेख, दोनो पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं उनके तर्को से स्पष्ट होता है कि श्री अखिलेश मंडल लगातार 20 वर्ष तक मेसर्स पुराना भागीरथ होटल, समाहरणालय कम्प्लेक्स, मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे। अपीलकर्त्ता के द्वारा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 1955 के नियम 03 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान की पंजी, नियम 13 के अन्तर्गत कामगारो के कार्यावधि की सूचना, नियम–14 के अन्तर्गत भुगतान पंजी अधिकाल (Overtime) पंजी और नियम–19 के अन्तर्गत जुर्माना और कटौती पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सभी पंजियों एवं अभिलेखों को पोषित करने एवं रख–रखाव का दायित्व राज कुमार गुप्ता, नियोजक मेसर्स पुराना भागीरथ होटल, समाहरणालय कम्प्लेक्स, मुजफ्फरपुर पर ही था। अपीलकर्त्ता के द्वारा इस प्रकार कोई भी पंजी एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई अन्य संबंधित ठोस सबूत दाखिल नहीं करने से यह स्पष्ट होता है कि श्री मंडल लगातार 20 वर्ष तक उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत थे। इसकी पुष्टि प्रतिवादी श्री अखिलेश मंडल द्वारा प्रस्तुत सेवा कार्ड से भी होती है। दिनांक–19.12.1999 को तत्कालीन श्रम अधीक्षक–सह–निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में केवल 09 श्रमिक का नाम शामिल रहने के आधार पर अपीलकर्त्ता का उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 लागू नहीं होने से संबंधित दावा गलत है क्योकि Employees Provident Fund Appellate Tribunal, नई दिल्ली द्वारा ATA No. 14(3)2009 में दिनांक–03.02.2011 में स्पष्ट किया है कि मेसर्स पुराना भागीरथ होटल, समाहरणालय कम्प्लेक्स, मुजफ्फरपुर में कुल 24 कामगार काम करते थे एवं इसलिए उनपर PF Act लागू होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपादान भुगतान अधिनियम,1972 की धारा 4 के अनुसार श्री अखिलेश मंडल को उपादान की राशि मिलनी चाहिए। अतः निम्न न्यायालय के अभिलेख, दोनो पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं उनके तर्को के आधार पर उप श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर द्वारा जी0ए0 वाद संख्या–06/2008 में दिनांक– 17.01.2015 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है।

05/02/18

श्रमायुक्त, बिहार
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञाप संख्या–1/जी0ए0 अपील वाद सं०–03/2017 श्र0सं0 739 पटना, दिनांक 5.2.18

1) प्रतिलिपिः– उप श्रमायुक्त–सह–नियंत्रण प्राधिकार, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर को जी०ए० वाद संख्या–06/2008 के मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2) प्रतिलिपिः– राज कुमार गुप्ता, पिता–स्व० प्रभु कुमार गुप्ता, पता–माड़ीपुर पावर हाऊस चौक, थाना–काजीमोहम्मदपुर, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3) प्रतिलिपिः–श्री अखिलेश मण्डल, पिता–स्व0 जर्मनी मण्डल, पताः–ग्राम–बरैठा, पोस्ट–कटरा, जिला–मुजफ्फरपुर को अपीलकर्त्ता के जवाब की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4) प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/02/18

श्रमायुक्त, बिहार
–सह–
अपीलीय प्राधिकार